

(भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)


भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2025

अधिसूचना

का.आ. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री स्वामीनाथन एस. अय्यर, कार्यकारी उपाध्यक्ष - प्रमुख विधि, कंपनी सचिव और विनियामकीय कार्य तथा ईएसजी, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पांच लाख रुपए प्रतिमाह (आवास और कार की सुविधा के बिना) के समेकित वेतन पैकेज पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) में पूर्णकालिक सदस्य (जीवन) नियुक्त करती है।

(फा.सं. आर-12011/03/2024-बीमा-I)


(अब्दुल गुफरान)

अवर सचिव, भारत सरकार